

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ़,
जिला-मुरैना

प्र० क्र०/54/17-18/अ-82/भू-अर्जन/उ०म०रे०

सबलगढ़ दिनांक 26/06/2020

//सूचना-पत्र//

(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के अन्तर्गत)

उप मुख्य अभियंता, (निर्माण)

उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर म.प्र.

बनाम

श्रीनिवास नरोत्तम पुत्रगण प्रभु रामपति वैकुण्ठी आदि।

ग्राम- देवपुर तहसील सबलगढ़ व जिला मुरैना

द्वारा:- तहसीलदार परगना सबलगढ़ जिला मुरैना

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम देवपुर तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अधिासकीय भूमि को प्रस्तावित छोटी रेलवे लाईन से बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आषय है अतः भू-अर्जन, अधिनियम 2013 (2013 संख्याक 30) की धारा 21(1) के अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपसे संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक का भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है, जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान, का अधिनिर्णय प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति हो तो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात् दिनांकतक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/अभिषासक के माध्यम से उपसंजात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा मुरैना/उप मुख्य इन्जीनियर निर्माण उ०म० रेलवे ग्वालियर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 27.07.2020.पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा।

क्र. सं.	राजस्व वृत्त/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा है. मे		
			सिंचित	असिंचित	कृषि गिन्न
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व वृत्त- /पटवारी हल्का- /ग्राम- देवपुर /तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना				
1		140	0.073	निरंक	कृषि
2		153	0.116	निरंक	कृषि
3		158	0.057	निरंक	कृषि
4		160	0.368	निरंक	कृषि
5		168	0.009	निरंक	कृषि
6		201	0.408	निरंक	कृषि
7		202	0.403	निरंक	कृषि
8		203	0.030	निरंक	कृषि
9		204	0.456	निरंक	कृषि
10		214	0.447	निरंक	कृषि
11		215	0.038	निरंक	कृषि
12		216	0.549	निरंक	कृषि
13		218	0.003	निरंक	कृषि
14		219	0.330	निरंक	कृषि
15		220	0.178	निरंक	कृषि
16		221	0.150	निरंक	कृषि
17		222	0.120	निरंक	कृषि
18		223	0.296	निरंक	कृषि
19		226	0.328	निरंक	कृषि
20		228	0.030	निरंक	कृषि
21		229	0.085	निरंक	कृषि
22		230	0.365	निरंक	कृषि
23		235	0.022	निरंक	कृषि

24		259	0.090	निरंक	कृषि
25		280	0.007	निरंक	कृषि
26		282	0.560	निरंक	कृषि
27		284	0.320	निरंक	कृषि
28		285	0.060	निरंक	कृषि
29		288	0.017	निरंक	कृषि
30		302	0.013	निरंक	कृषि
31		304	0.400	निरंक	कृषि
32		305	0.270	निरंक	कृषि
33		306	0.280	निरंक	कृषि
34		308	0.053	निरंक	कृषि
35		309	0.064	निरंक	कृषि
36		311	0.230	निरंक	कृषि
37		312	0.121	निरंक	कृषि
38		318	0.374	निरंक	कृषि
39		320	0.378	निरंक	कृषि
	योग		8.098		

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुद्रावजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय, वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावपील भूमि के बाजार मूल्य मार्ग दर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण/हितवद व्यक्ति को प्रथम से उपस्था कराई जावेगी।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 26.06.2020 को जारी किया गया।
स्थान : सबलगढ़

अनुविभागीय अधिकारी
एवं

तारीख : 26.06.2020

भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ़, जिला मुरैना

पृष्ठांकन क्र० / 54 / अ-82 / भू-अर्जन / उ०म०२० / 2018 / सबलगढ़ दिनांक : 26 / 06 / 2020
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़, जिला-मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचना हेतु।
4. तहसीलदार, परगना सबलगढ़ की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, संबंधित पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/बस्य करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।

5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला-मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिग बेवसाईड पर अपलोड हेतु।



अनुविभागीय अधिकारी

एवं

भू-अर्जन अधिकारी सबलगढ, जिला मुरैना